न्यायालय, अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बसिया (गुमला)।

आदेश की क0सं0 एवं तिथि	आदेश
	आदेश वाद सं0 एम0 48/2021–22 धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत। **प्रथम पक्ष** – ढ़स्कल मुण्डा ...... बगैरह। **बनाम** **द्वितीय पक्ष** – किशोर मुण्डा ......बगैरह।
22/4/22	वाद की कार्यवाही थाना प्रभारी, कामडारा के अप्राथमिकी सं0 02/2022 दिनांक 05/02/2022 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि **प्रथम पक्ष** (1) ढ़स्कन मुण्डा उम्र 36 वर्ष पिता स्व0 मनसुक मुण्डा (2) निलमनी तोपनो उम्र 30 वर्ष पति ढ़स्कन मुण्डा दोनो ग्राम मुर्गा थाना कामडारा जिला गुमला **बनाम द्वितीय पक्ष** (1) किशोर तोपनो उम्र 40 वर्ष पिता सोमा तोपनो (2) प्रतिभा तोपनो उम्र 37 वर्ष पति किशोर तोपनो ग्राम मुर्गा थाना कामडारा, जिला गुमला के बीच खाता सं0 25 प्लॉट सं0 71, रकबा 0.44 एकड़ भूमि चौहदी उत्तर में सिमडेगा रॉची मुख्य मार्ग, दक्षिण में थोमस खड़िया का रैयती जमीन, पुरब मे लोढर लोहरा का रैयती जमीन, पश्चिम में फिलिप मुण्डा का रैयती जमीन है। उक्त भूमि को उभय पक्षो के द्वारा अपना अपना दखल को लेकर उभय पक्षों के बीच विवाद है। फलस्वरूप उभय पक्षों के बीच तनाव बना हुआ है, शांति भंग होने संबंधी प्रतिवेदन थाना कामडारा के द्वारा कि गया है। थाना प्रभारी कामडारा के उक्त प्रतिवेदन के आलोक में उत्पन्न विवाद के मद्देनजर उभय पक्षों को विवादित भूमि पर 60 दिनों के लिए जाने से प्रतिबंधित करते हुए दं0प्र0सं0 की धारा 144 प्रारम्भ किया गया एवं उभय पक्षों को कारण पृच्छा दाखिल करने हेतु नोटिस निर्गत किया गया। अंचल अधिकारी, कामडारा से उक्त वादगत् भूमि से संबंधित जॉच प्रतिवेदन की मांग किया गया। उभय पक्ष नोटिस प्राप्त कर न्यायालय में उपस्थित हुए एवं कारण पृच्छा जवाब दाखिल किये है जो निम्न प्रकार है:– **प्रथम पक्ष की ओर उपस्थित** होकर अपना कारण पृच्छा दाखिल किया गया है कि प्रथम पक्ष ढ़स्कल मुण्डा के आवेदन पर उपरोक्त वाद सं0 एम0 48/2022 न्यायालय के द्वारा पुलिस रिपोर्ट के अवलोकन के पश्चात् दोनो पक्षों को दफा 144 सी0आर0पी0सी0 की नोटिस निर्गत किया गया है तथा कारण पृच्छा दाखिल करने एवं विवादित खाता सं0 25 प्लॉट सं0 71 कुल रकबा 1.44 ए0 में से 0.44 एकड़ जमीन पर जाने से रोका गया है। विवादित खाता सं0 25 गत् सर्वे में डहरू मुण्डा पिता मंगरा मुण्डा वो बोडो मुण्डा वल्द चमरा मुण्डा, ग्राम मुर्गा, थाना कामडारा के नाम से खतियानी तैयारी हुआ है। खतियानी रैयत डहरू मुण्डा नावल्द मर गये तथा बेडो मुण्डा का एक पुत्र सोमा मुण्डा से प्रथम पक्ष की माता भिंजी मुण्डाईन तथा उनके चार पुत्र क्रमशः 1. प्रसाद टोपनो 2. किशोर टोपनो 3. सुखु टोपनो एवं 4. अजीत टोपनो हुए तथा भिंजी मुन्डाईन की शादी सोमा मुण्डा अपने जीवनकाल में कर दिया तथा अपने छोटे भाईयों एवं पिता की सेवा टहल के लिए भिंजी मुन्डाईन जौजे मनसुख मुण्डा को ग्राम मुर्गा थाना कामडारा के खाता सं0 25 प्लॉट सं0 71

अनुमण्डल दण्डाधिकारी बसिया (गुमला)

रकबा 0.44 एकड़ में घर बनाकर रहते चली आ रही है। प्रथम पक्ष के नाना सोमा मुण्डा अपनी बड़ी बेटी भिंजी मुन्डाईन की सेवा टहल से खुश होकर खाता सं0 25 प्लॉट सं0 71 का रकबा 1.44 एकड़ जमीन को दान कर दिया था जिसकी सम्पुष्टि सोमा मुण्डा के चारो पुत्रों ने अनुमण्डल पदाधिकारी गुमला के न्यायालय में परमिशन वाद सं0 655/2003–2004 अंदर दफा 46 सी0एन0टी0 के अंतर्गत दाखिल किया गया। अचंल कार्यालय कामडारा के जॉचोपरांत अनुमण्डल पदाधिकारी गुमला ने परमिशन केस सं0 655/2003–04 में आवेदकों को खाता सं0 25 प्लॉट सं0 71 रकबा 1.44 एकड़ जमीन को बकशीस करने को दिनांक 23/06/2004 को अनुमति प्रदान किया है।

आवेदकगण किशोर तोपनो बगैरह जो इस वाद में द्वितीय पक्ष हैं ने अपने अन्य तीनो भाईयों 1. प्रसाद टोपनो, 2.सुखु टोपनो और 3.अजीत टोपनो ने आपसी सहमती से मिलकर अनुमण्डल पदाधिकारी गुमला के आदेश के पश्चात् खाता सं0 25, प्लॉट सं0 71, रकबा 1.44 एकड़ भूमि को लिख दिये है।

विवादित भूमि के खाता सं0 25 प्लॉट सं0 71 रकबा 1.44 एकड़ भूमि को रजिस्ट्री के पश्चात् दाखिल खारिज करने के लिए अंचल कार्यालय कामडारा के आवेदन की तथा जॉचो उपरांत अंचल अधिकारी ने 29/03/2008 को प्रथम पक्ष की माता भिंजी मुण्डाईन के नाम से कट रहा है, वर्तमान में भिंजी मुन्डाईन के नाम से ऑनलाईन रसीद भी निर्गत हो रहा है। द्वितीय पक्ष की अपनी बड़ी दीदी भिंजी मुण्डाईन विवादित प्लॉट सं0 71 रकबा 0.44 एकड़ में घर बनाकर रह रही है तथा शेष जमीन पर खेती बारी कर रही है किन्तु बदनीयत और गैर कानूनी ढ़ंग से प्रथम पक्ष के परिवारों के लोगों को बेदखल करने का चेष्टा कर रहे हैं जिससे शांति भंग होने की संभावना है।

द्वितीय पक्ष कानून को अपने हाथ में लेकर प्रथम पक्ष के सदस्यों एंव परिवारेां को झगड़ा झंझट करते रहते है जबकि विवादित जमीन को द्वितीय पक्ष के सदस्य एवं अन्य भाई विधिवत तरीके से प्रथम पक्ष की माता भिंजी मुन्डाईन को बकशीस रजिस्ट्री कर दिये है।

अतः न्यायालय से निवेदन है कि दोनो पक्षों की ओर से सुनवाई एवं कागजातो का अवलोकन करते हुए द्वितीय पक्ष के विरूद्ध दफा 144 के अंतर्गत स्थिर किया जाए तथा प्रथम पक्ष के हित में विलुप्त किया जाए।

प्रथम पक्ष के द्वारा दाखिल कागजातः–

(1) बकशीस रजिस्ट्री पट्टा की छाया प्रति।

(2) दाखिल खारिज की छाया प्रति।

(3) ऑनलाईन लगान रसिद की छाया प्रति।

(4) ऑनलाईन खतियानी की छाया प्रति।

(5) हल्का कर्मचारी का जॉच प्रतिवेदन।

अनुमण्डल दण्डाधिकारी बसिया (गुमला)

द्वितीय पक्ष की ओर से अधिवक्ता उपस्थित होकर अपना कारण पृच्छा दाखिल किया गया है कि उक्त वाद् की कार्यवाही प्रथम पक्ष ढस्कन मुण्डा की ओर से द्वितीय पक्ष किशोर तोपनो व अन्य के विरूद्ध प्रारंभ की गई है जो चलने योग्य नहीं है और खारिज करने लायक है। द्वितीय पक्ष के सदस्यगण शांतिप्रिय व्यक्ति हैं और कानून को मानने वाले हैं इसलिए उनकी ओर से उक्त जमीन को लेकर शांति भंग होने की कोई संभावना नहीं है जबकि प्रथम पक्ष लालची और दबंग व्यक्ति हैं और उनकी ओर से किसी भी समय शांति भंग हो सकती है।

प्रस्तुत वाद जमीन अंतर्गत मौजा मुर्गा थाना कामडारा खाता सं0 25 प्लॉट सं0 71 रकबा 1.44 एकड़ में से 0.44 जमीन को लेकर है। उक्त जमीन द्वितीय पक्ष की खतियानी जमीन है जो आर0एस0 रिकार्ड ऑफ राइट में डहर मुण्डारी वल्द मंगरा मुण्डारी व वेडो मुडारी वल्द चमरा मुण्डारी के नाम खतियानी कायमी दर्ज है।

उक्त खाता सं0 25 के खतियानी रैयत की वंशावली सुविधा के लिए नीचे दर्शाया गया है।

मंगरा मुण्डारी ↓   चमरा मुंडारी ↓

डहरू मुंडारी   बेडो मुंडारी

प्रसाद तोपनो   किशोर तोपनो   फांसिस तोपनो   अजीत तोपनो

प्रफुल्लित तोपनो   जेवियर तोपनो   मनीष तोपनो

द्वितीय पक्ष के सदस्य निरक्षर और अनपढ़ व्यक्ति है, जिनका नाजायज फायदा उठा कर मिन्जी मुण्डाईन, पति मनसुख मुण्डा ठग फुसलाकर जिस्ट्री से पट्टा सं0 178/2004 दिनांक 07/07/2004 को किशोर तोपनो बगैरह से ली है। खरीदी के पश्चात् उक्त पट्टा कभी भी अमल में नहीं आया और ना इसकी जानकारी 2004 से अभी तक द्वितीय पक्ष के किसी भी सदस्य को है।

प्रथम पक्ष मिन्जी मुण्डाईन पति मनसुख मुंडा द्वितीय पक्ष किशोर तोपनो की सभी बहन है और ठग फुसलाकर पट्टा गलत तरीके से बनवा ली है। कचरा फेंकने के विवाद के कारण द्वितीय पक्ष के सदस्य को पता चला कि प्रथम पक्ष ठग फुसलाकर जमीन रजिस्ट्री करा ली है। प्रश्नगत् जमीन पर द्वितीय पक्ष के सदस्यों के पूर्वजों का दखल कब्जा था और वर्तमान में द्वितीय पक्ष के सदस्य शांतिपूर्वक काविज एवं दखलकार है। प्रथम पक्ष प्रश्नगत जमीन पर कभी भी दखलकार नहीं हुए और फर्जी पट्टा के माध्यम से द्वितीय पक्ष के जमीन को हड़पना चाहते है।

अतः अनुरोध है कि धारा 144 दं0प्र0सं0 की कार्यवाही द्वितीय पक्ष के सदस्य के हित में विलुप्त करते हुए प्रथम पक्ष के सदस्य के विरूद्ध स्थिर करने की कृपा की जाए।

द्वितीय पक्ष की आरे से दाखिल कागजातः–

1. खतियानी कि छाया प्रति।
2. लगान रसिद की छाया प्रति।

उक्त वाद में उभय पक्षो के द्वारा दाखिल लिखित जवाब, भूमि संबंधी कागजात , बहस, पुलिस जॉच प्रतिवेदन का अवलोकन से स्पष्ट है कि वाद्गत भूमि मौजा मुर्गा के खाता सं0 25 प्लॉट सं0 71 कुल रकबा 1.44 ए0 में से 0.44 एकड़ जमीन को उभय पक्षो के द्वारा अपना अपना दखल होने को लेकर वाद लाया गया है वही प्रथम पक्ष के द्वारा भूमि संबंधी दाखिल कागजातो से स्पष्ट की उक्त वादग्गत भूमि को प्रथम पक्ष की मॉ के भाईयों (1. प्रसाद तोपनो 2. किशोर तोपनो 3. सुखु तोपनो 4. अजीत तोपनो तीनो के पिता स्व0 सोमा तोपनो) के द्वारा अपनी बहन प्रथम पक्ष की मॉ के नाम उक्त जमीन को रजिस्ट्री पट्टा लिख दिया गया है एवं अंचल कामडारा से भूमि को अपने नाम से दाखिल खारिज कराकर सरकार को लगान देते आ रहे है। अतः उक्त वादग्त भूमि मौजा मुर्गा के खाता सं0 25 प्लॉट सं0 71 कुल रकबा 1.44 ए0 में से 0.44 एकड़ जमीन में प्रथम पक्ष के हित में आदेश पारित करते हुए द्वितीय पक्ष को उक्त वाद्गत भूमि को जाने से स्थिर किया जाता है।

लेखापित एंव संशोधित।

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
बसिया(गुमला)।

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
बसिया(गुमला)।

ज्ञापांकः–   दिनांकः–

प्रतिलिपिः– थाना प्रभारी कामडारा के अप्राथमिकी सं0 02/2022 दिनांक 05/02/2022 के आलोक में सूचनार्थ एवं अनुपालार्थ हेतु प्रेषित।

Digitally signed by JAIWANTI DEOGAM
Date: 2024.08.24 13:44:36 +05:30
Location: 192.168.1.6

अनुमण्डल पदाधिकारी
बसिया (गुमला)।